

331

207

निम्न 6015/2018/ सिंगरौली/भू-शु

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व प्रण्डल ग्वाल्हेर सर्किट कोर्ट

रीवा म०प्र०



आधोक्षी महोदय अतिरिक्त  
द्वारा चेश/ 03-10-18  
/M  
952

- 1- रघुनन्दन धर द्विवेदी पिता साधुधर द्विवेदी
- 2- श्रीनाथधर पिता श्री साधुधर द्विवेदी साकिनान पत्रलकेश,  
सिंगरौली  
तहसील चितरंगी जिला सीधी म०प्र० 0----- निगरानीकर्तागण

वनाम

सज्जाद अली तनय सकूल अली मुसलमान निवासी ग्राम हरमा,  
सिंगरौली  
तहसील चितरंगी जिला सीधी म०प्र०----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त  
महोदय रीवा संभाग रीवा के निगरानी  
प्रकरण क्रमांक 442/निगरानी/05-06मै पारित  
आदेश दिनांक 20-8-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व  
संहितासन 1959ई०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- वहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि  
रवम न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किये  
जाने योग्य है।

207

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... निमां 6015/2018/भू-राज... जिला- सिंगरली

रजपुनदन चर विवेकी विरुद्ध... अज्जाद अली

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... महेंद्र उपाध्याय... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक... 442/निगरानी/2005-06... में पारित आदेश दिनांक... 20.08.18... के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक... 03.10.18... प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

रकम न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।